राजस्व (क) विभाग

विज्ञप्ति

(धारा २९ के अधीन)

संख्या एफ० ७ (७०) रा० क० ६२ दिनांक ६/३/१९६२

चूंकि विज्ञप्ति संख्या प० ३४ (२००) रेवेन्यू ४२/१९२८८ दिनांक २/२/५४ द्वारा नीचे लिखी हुई भूमि को राजस्थान वन अधिनियम (१९५३ का अधिनियम संख्या १३) के अधीन आरक्षित वन के रूप में गठित किये जाने का प्रस्ताव किया गया था।

और चूंकि इन भूमियों पर अधिकारों के बारे में अधियाचनायें प्रस्तुत करने की अवधि जो निर्धारित की गई व्यतीत हो चुकी है और समस्त प्रस्तुत अधियाचनायें यदि हों निबटा दी गई हैं।

और चूंकि उपर्युक्त अधियाचनाओं पर पारित आदेशों के विरुद्ध अपील पेश करने की अवधि व्यतीत हो चुकी है और इस अवधि में प्रस्तुत की गई अपीलें निबटा दी गई हैं।

और चूंकि प्रस्तावित वन में सम्मिलित किये जाने के लिए अवाप्त की गई समस्त भूमियां यदि हों अनिवार्य अवाप्ति कानून के अधीन सरकार में निहित हो गई हैं।

अतः अब उक्त एक्ट की धारा २० द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में राज्य सरकार उक्त भूमि को दिनांक १५/५/६२ से प्रभाव रखते हुये आरक्षित वन घोषित करती है जो इस प्रावधान के अधीन है कि नीचे लिखे गये गांव अधिकारों की संक्षिप्त सूची (१) में उल्लेखित सीमा तक अधिकार रखते रहेंगे व संक्षिप्त सूचि (२) में उल्लेखित सीमा तक ऐसे मौसमों में, उक्त वनों के ऐसे मार्गों में तथा ऐसे नियमों के अधीन, जो राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित किये जावे, रिआयतों का उपभोग करेंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

आर० के० चतुर्वेदी

शासन सचिव

भूमि का विवरण

जिला	तहसील	पट्टी या वनखण्ड	मौजा	क्षेत्रफल वनखण्ड या मौजा एकड़ों में	विशेष विवरण
[illegible]पुर	सराडा	मनियोल	बाबरमाल	७२५७ एकड़	सीमारेखा का विवरण
		काली घाटी	केवड़ा मय मजरेजात		परिशिष्ट (अ) संलग्न है।
			रैला		
			देवाला		
			ओड़ा		
			पलूणा		
			केवड़ा खुर्द		

C.G
[signature]
(मुकेश सैनी)
उप वन संरक्षक
उदयपुर